राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–प.6()आ0कृ0 / गु0नि0 / 2016–17 / 815–920 दिनांक :– 25/04/16

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (समस्त)
2. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड (समस्त)
3. परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार), सीएडी, कोटा
4. उप निदेशक कृषि विस्तार आईजीएनपी, बीकानेर।
5. उप निदेशक कृषि (विस्तार),जिला परिषद (समस्त)।

विषयः–आगामी खरीफ मौसम में कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति के क्रम में।

वर्तमान कृषि प्रणाली में अधिक उत्पादन प्राप्त किये जाने हेतु कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति विशेष महत्व रखती है। राज्य के कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाये जाने के लिये बहुआयामी प्रयास किये जा रहें है जिसके फलस्वरूप उन्नत बीजों का उपयोग प्रतिवर्ष बढ रहा है। फसल मौसम पूर्व कृषकों की बीज मांग में वृद्धि होने पर कतिपय व्यवहारियों द्वारा अधिक मुनाफा कमाये जाने के मध्यनजर निम्न गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति किये जाने की संभावना बनी रहती है जिससे कृषकों के उत्पादन पर विपरीत असर पडता है।

ग्रीनफॉर्म बायोजेन प्रा. लि. जूनागढ के पत्र दिनांक 07.04.16 के द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के ध्यान में लाया गया है कि राज्य में बीज विक्रेताओं द्वारा मुंगफली दाने (गुल्ली) को बीज बताया जाकर विभिन्न ब्राण्ड यथा रसदार, सरदार, सुपर फाईन, स्वास्तिक आदि नामों से कृषकों को विक्रय किया जाता है जो कि बीज अधिनियम 1966, नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ बीज निरीक्षकों को पाबन्द करावें कि आगामी खरीफ में अपने अधिकारिता क्षैत्र में स्थित बीज विक्रेताओं के परिसरों का सघन निरीक्षण कर बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 13 के अन्तर्गत बीजों के नमूने आहरित करें तथा किसी भी विक्रेता द्वारा मूंगफली दाने का बीज के रूप में विक्रय किया जाना पाया जावे तो बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्यवाही कर आयुक्तालय को अवगत कराने की सुनिश्चितता करावें।

(डॉ0 नीरज के. पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन
सचिव कृषि, राजस्थान

कमांकः–प.6()आ0कृ0 / गु0नि0 / 2015–16 / 815–920 दिनांक :– 25/04/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महाप्रबन्धक राजस्थान राज्य बीज निगम लि. जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृषि विभाग की मांग के अनुरूप मूंगफली की विभिन्न अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करावें।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान / अनुसंधान / विस्तार) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
5. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

(डॉ0 नीरज के. पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन
सचिव कृषि, राजस्थान